Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 (KARTIKA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2023

संख्या 64/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है, को ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते है, जो उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (2) के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार, आबकारी व कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 49/जीएसटी–2, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट–प्राप्त व्यक्तियों (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की प्रदाय के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात्:–

(i) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों की प्रदाय करने के लिए केवल तभी अनुमत किया जाएगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामाकंन संख्या आबंटित की गई है;

(ii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों की अंतर–राज्यीय प्रदाय करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा;

(iii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की प्रदाय के संबंध में 52 की उप–धारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा ; और

(iv) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की प्रदाय के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से **प्ररुप जीएसटीआर–8** में विवरणी में प्रस्तुत करेगा।

2. जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से मालों की एकल प्रदाय करने में बहु इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक शामिल हैं, तो "इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" से अभिप्राय होगा, ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो अंतिम रुप से उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त प्रदाय के लिए उक्त व्यक्ति को भुगतान जारी करेगा।

3. यह अधिसूचना प्रथम अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th October, 2023

No. 64/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons exempted from obtaining registration (hereinafter referred to as the said person) in accordance with the notification issued under sub-section (2) of section 23 *vide* Haryan Government, Excise and Taxation Department, notification No. 49/GST-2, dated the 27th September, 2023 namely: —

(i) the electronic commerce operator shall allow the supply of goods through it by the said person only if enrolment number has been allotted on the common portal to the said person;

(ii) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;

(iii) the electronic commerce operator shall not collect tax at source under sub-section (1) of section 52 in respect of supply of goods made through it by the said person; and

(iv) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. Where multiple electronic commerce operators are involved in a single supply of goods through electronic commerce operator platform, “the electronic commerce operator” shall mean the electronic commerce operator who finally releases the payment to the said person for the said supply made by the said person through him.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10675—C.S.—H.G.P., Pkl.